महत्वपूर्ण एवं खास

नगर पालिका परिषद सारंगढ़ के लिए लीना कोसम प्रेक्षक नियुक्त

रायगढ़ । छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के तहत अपर कलेक्टर जांजगीर-चाम्पा श्रीमती लीना कोसम को नगर पालिकाओं के आम निर्वाचन, निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षण कार्य हेतु नगर पालिका परिषद सारंगढ़ के लिए प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कोसम 11 अगस्त 2021 दिन बुधवार को नगर पालिका परिषद सारंगढ़ क्षेत्र में उपलब्ध रहेंगी।

जवाहर नवोदय चयन परीक्षा आज

रायगढ़ । जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2021 के अंतर्गत 11 अगस्त 2021 को आयोजित होगी। जिसमें समस्त रायगढ़ जिला के 80 सीटों के लिए 16417 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु 50 केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। जिले के 9 विकासखण्ड के तहत बरमकेला में 6, धरमजयगढ़ में 8, घरघोड़ा में 3, खरसिया में 6, लैलूंगा में 4, पुसौर में 4, रायगढ़ में 7, सारंगढ़ में 8 तथा तमनार में 4 केन्द्र बनाए गए है। सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए संदेश द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल में जवाहर नवोदय रायगढ़ के द्वारा भेज दिया गया है।

जिले में 548.1 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़ । चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 10 अगस्त तक 548.1 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 9.6 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 512.0 मिली मीटर, पुसौर में 630.8, खरसिया में 522.3, सारंगढ़ में 583.5, बरमकेला में 483.4, घरघोड़ा में 538.8, तमनार में 461.9, लैलूंगा में 570.5 तथा धरमजयगढ़ तहसील में 629.8 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

ब्राउन शुगर बेचते 2 गिरफ्तार, 20 लाख का ब्राउन शुगर जब्त

अंबिकापुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में पुलिस ने 20 लाख के ब्राउन शुगर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 50 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार अंबिकापुर पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर 09 अगस्त को शाम 5 बजे ब्रम्हपारा राम मंदिर के सामने बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर रखकर बेचे जाने की सूचना पर मौके पर पुलिस पेट्रोलिंग टीम पहुंचकर 2 लोगों को घेराबंदी कर संदेही राजू पाण्डेय के पैकेट के बांये जेब में रखा प्लास्टीक पन्नी में भरा हुआ मादक पदार्थ भूरा रंग का बरामद हुआ व संदेही अमजद खना के पैंट के दाये जेम में 10 कागज की पुड़िया में रखा भूरा रंग का मादक पदार्थ बरामद हुआ । समक्ष गवाहों बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया जो संदेहियो से बरामद मादक पदार्थ को गवाहों से चखाकर,सूंघा कर, जलाकर देखा गया व अपने पुलिस ट्रेनिंग के अनुभव पर बरामद मादक पदार्थ ब्राउन शुगर होना पाया गया,पकड़े गए आरोपी राजू पाण्डेय 45 वर्ष पिता स्व.केशव पाण्डेय एवं अमजद खान 40 वर्ष पिता मोहर्रम खान दोनों ब्रम्हपारा अबिंकापुर के रहने वाले है। आरोपियों के पास से कुल 48.88 ग्राम ब्राउन शुगर अनुमानित कीमत 20 लाख रुपये को जब्त कर उन्हें हिरासत में लिया गया है।

केलो पार्क की प्लानिंग के समय बांध से छोड़े जाने वाले पानी का रखा गया है ध्यान

» बैक वाटर से पार्क में कोई नहीं डूबा आईलैण्ड

» जलभराव वाले क्षेत्र में पानी से खराब न होने वाले सीमेंट कांक्रीट या फाइबर से हुआ है निर्माण

रायगढ़ । केलो पार्क के 2 साल बाद भी लोकार्पण नहीं होने एवं बारिश में नुकसान होने संबंधी समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के संबंध में कार्यपालन अभियंता केलो परियोजना पी.डी.अग्रवाल ने बताया कि केलो बांध स्थल के नीचे परिक्षेत्र में चारों तरफ सौंदर्यीकरण, पर्यावरणीय एवं इकोलाजी पुराने व्यवस्था सहित विकास कार्य की स्वीकृति छ.ग.शासन जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 12 सितम्बर 2016 को जारी आदेश के अनुसार 680.47 लाख की प्रदाय की गई थी, जिसके तहत केलो बांध के नीचे पुराने केलो नदी का सौंदर्यीकरण बोट कैफेटेरिया, आइसलैण्ड, परोडा, स्टेच्यू, लैण्डस्केपिंग, ग्रीन ग्रास, फूलों के पौधे, प्लान्टेशन, इलेक्ट्रीफिकेशन, पाइप लाईन आदि निर्माण का कार्य ठेकेदार ग्रीन एड लैण्डस्केप प्रा.लि.नई दिल्ली के माध्यम से कराया गया है। ठेके की राशि 681.84 लाख है। जिसमें ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य के उपरांत 5 वर्ष तक उक्त पर्यावरणीय कार्य का मेन्टेनेन्स भी शामिल है। पुराने केलो नदी में सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया है।

पार्क के प्लानिंग के समय बांध से छोड़े जाने वाले जल का पूर्ण ध्यान रखा गया है। इसलिए पुराने केलो नदी के बेड वाले क्षेत्र में जहां बैकवाटर का भराव होता है वहां कोई पेड़ पौधे नहीं लगाए गए है। उस स्थान पर सीमेंट कांक्रीट या फाइबर का कार्य करवाया गया है जो कि पानी में खराब नहीं होता है। उस स्थल पर वर्षाकाल में कभी-कभी बांध से अत्यधिक जल छोड़े जाने पर सीमित समय के लिए 2 मीटर तक पानी का भराव होता है। उससे पार्क के हिस्से को कोई हानि नही होती है तथा उक्त स्थल पर बैकवाटर का भराव होने पर पार्क के अन्य हिस्सों में भी पार्क के पेड़ पौधे, क्यारियां, स्टेच्यू आदि को कोई नुकसान नहीं होता है। बैक वाटर से पार्क में कोई आईलैण्ड नहीं डूबा है। वर्षा ऋतु में उक्त स्थान पर घास उग जाती है तथा उसे वर्षा काल के पश्चात ठेकेदार द्वारा साफ करवाया जाता है। वर्षा काल के पश्चात शेष 8 माह में उक्त स्थान पर बांध का जल भरकर रखा जाता है। जिससे की पार्क की खूबसूरती बढ़ जाती है। पार्क का कोई भी हिस्सा नहीं उजड़ा है। वर्षा ऋतु में सजावटी, कीमती एवं आर्टीफिशियल वस्तुओं को खराब होने से बचाने के लिए तारपोलिन से ढका जाता है। पार्क का मेटेनेन्स कार्य ठेकेदार द्वारा प्रतिदिन किया जाता है।

पार्क फेस-1 का लोकार्पण 25 जनवरी 2017 को हो चुका है, चूंकि पार्क फेस-2, पार्क फेस-1 का विस्तार मात्र है इसलिए विभाग द्वारा पार्क फेस-2 के अलग से लोकार्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई। पार्क में प्रतिदिन सैकड़ों पर्यटक आते है शनिवार, रविवार एवं अन्य छुट्टियों के दिन यह संख्या एक हजार तक पहुंच जाती है तथा पार्क के मनोरम दृश्यों का आनंद उठाते है। इस पार्क के बनने से रायगढ़ वासियों एवं आसपास के नागरिकों के लिए पर्यटन स्थल विकसित हो गया है तथा पिकनिक इत्यादि के लिए पहली पसंद बना हुआ है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए प्रमाण-पत्रों को ऑनलाईन कराना होगा अपडेट

रायगढ़ । आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन नवा रायपुर द्वारा जारी निर्देशानुसार छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों के समस्त प्रमाण-पत्रों का ऑनलाईन छात्रवृत्ति पोर्टल पर डिजिटल माध्यम से सत्यापन किया जाना है।

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि छ.ग.राज्य में संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय कक्षा 11 वीं, 12 वीं, महाविद्यालयों, विश्व विद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, पालीटेक्निक एवं आईटीआई आदि में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है वे शिक्षा सत्र 2021-22 से ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 10 वीं से उच्चतर)में आवेदन करने के लिए लोक सेवा केन्द्र द्वारा जारी ऑनलाइन आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र बनवाना अनिवार्य होगा। जो वेबसाईट पर उपलब्ध हो, मान्य होगा। विद्यार्थियों के आधार कार्ड में कोई त्रुटि (नाम, जन्मतिथि, पता)सुधार हो तो उसे अवश्य पूर्ण करा ले। विद्यार्थी द्वारा पोर्टल पर प्रदाय किए गए बैंक खाते का आधार नंबर से लिंक करवाना अनिवार्य है। पोस्ट मैटिक छात्रवृत्ति पोर्टल प्रारंभ होने से पर्व, लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र ऑनलाईन प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

बोर पाईप में पत्थर डालने के विवाद पर ग्रामीण पर टांगी से हमला, अस्पताल में मौत

» घरघोड़ा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजी रिमांड पर

रायगढ़। दिनांक 09/08/2021 के दोपहर थाना घरघोड़ा अन्तर्गत ग्राम बस्तीपाली में रहने वाले तेल सिंह राठिया गांव के समुंदर सिंह के साथ खेत में लगे बोर पाईप में पत्थर डाल देने के विवाद पर टांगा से सिर में मारकर गंभीर चोट पहुंचाया। आहत को उपचार के लिये छ्राष्ट घरघोड़ा में भर्ती कराया गया था। घटना की सूचना के तुरंत बाद घरघोड़ा टीआई अमित सिंह के हमराह स्टाफ ग्राम बस्तीपाली जाकर आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया है। देर शाम सीएचसीघरघोड़ा से आहत समुंदर सिंह के फौत हो जाने की सूचना प्राप्त हुई है। घरघोड़ा पुलिस हत्या के आरोप में आरोपी तेल सिंह राठिया को गिरफ्तार कर आज दिनांक 10/08/2021 को रिमांड पर भेजा कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

जानकारी के अनुसार ग्राम बस्तीपाली में समुंदर लाल राठिया (42 वर्ष) और तेल सिंह राठिया (45 वर्ष) का खेत एक ही जगह अगल-बगल में है। तेल सिंह अपने चुंआ डोली खेत में बोर लगाया है जिसके बोर पाईप में कोई पत्थर को डाल दिया था जिसे लेकर दिनांक 09.08.2021 के दोपहर 12.00 बजे तेल सिंह, समुंदर लाल को तुम बोर पाइप में पत्थर डाल दिये हो कहकर अश्लील गाली गलौज कर टांगा से सिर माथा में मारा जिससे समुंदर लाल राठिया को गंभीर चोट आया है। घटना के संबंध में समुंदर लाल राठिया के भतीजे नरेश राठिया के रिपोर्ट पर अप.क्र. 253/2021 धारा 294, 506(बी),307 भादवि दर्ज कर आरोपी तेल सिंह राठिया पिता स्व. गणेश राठिया उम्र 45 वर्ष निवासी बस्तीपाली थाना घरघोड़ा को हिरासत में लेकर थाना लाया गया। आहत के फौत की सूचना अस्पताली तहरिर पर प्रकरण में धारा 302 भादवि विस्तारित कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

सुनसान सड़क पर खिलौने की पिस्टल दिखाकर राहगीरों से कर रहे थे लूटपाट, एक आरोपी, दूसरा फरार

» लूट की रकम, घटना में प्रयुक्त बाइक व प्लास्टिक की पिस्टल जब्त

रायगढ़। दिनांक 09.08.2021 की रात्रि पुलिस चौकी जुटमिल अन्तर्गत अमलीभौना मेनरोड बाबाधाम , तिराहा के पास मोटर सायकल सवार दो युवक आईसक्रम बेचकर घर लौट रहे युवक को प्लास्टिक की पिस्टल दिखाकर 5,100 रूपये लूटकर भाग गये। लूट की सूचना मिलते ही जूटमिल पुलिस इलाके की घेराबंदी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिससे नकद 3500 रूपये, घटना में प्रयुक्त प्लास्टिक की नकली पिस्टल व मोटर सायकल पैशन प्रो की जप्ती की गई है।

जानकारी के अनुसार एफसीआई गोदाम के सामने किराये मकान पर रहने वाला राहूल ओड पिता रतनलाल ओड उम्र 18 साल निवास कुरावड जिला उदयपुर प्रतिदिन की तरह दिनांक 09.08.2021 को क्षेत्र में आईसक्रीम बेचकर अपने ठेला लेकर अमलीभौना मेनरोड होते अपने किराये रूम जा रहा था कि रात्रि करीब 08¬30 बजे बाबाधाम तिराहा के पास पीछे से एक काला रंग की बाईक में दो लड़के आये और एक पिस्टल दिखाकर आईसक्रीम बिक्री का रकम 5100/- को लूट कर भाग गये। पीड़ित चौकी जाकर घटना की जानकारी देते हुये बताया कि अज्ञात आरोपीगण अपना नाम राजा और राजू कहकर एक दूसरे को बुला रहे थे। लूटपाट की सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक गिरधारी साव वरिष्ठ अधिकारियों को घटना से अवगत कराकर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी के लिये स्टाफ के साथ अलग-अलग टीम बनाकर पतासाजी किया गया, छापेमारी में एक संदिग्ध राजू चौहान को हिरासत में लेकर चौकी लाया गया। पीड़ित राहुल ओड़ राजू चौहान को लूटपाट में शामिल होना बताया। आरोपी राजू चौहान अपने साथी राजा सारथी के साथ लूटपाट को अंजाम देना बताया है, जिसके मेमोरंडम पर 3,500 रूपये नकद, घटना में प्रयुक्त प्लास्टिक की पिस्टल और मोटर सायकल पैशन प्रो सीजी 13 वाई 9233 आरोपी राजू चौहान पिता भोलानाथ चौहान उम्र 23 साल निवासी पंजरीप्लांट थाना चक्रधरनगर के मेमोरंडम पर बरामद किया गया है। घटना के संबंध में थाना कोतवाली (चौकी जूटमिल) में अपराध क्रमांक 1121/2021 धारा 392 ताहि दर्ज किया गया है। फरार आरोपी राजा सारथी की सरगर्मी से पतासाजी की जा रही है।

शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। छ.ग.सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण)के प्रावधान अनुसार विकास खण्ड रायगढ़ के ग्राम पंचायत लामीदरहा एवं पुसौर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत बासनपाली पूर्व एवं लोहाखान में एक-एक शासकीय उचित मूल्य दुकान आबंटित करने हेतु इच्छुक सहकारी सोसायटियां, महिला स्व-सहायता समूह, ग्राम पंचायत एवं अन्य उपभोक्ता सोसायटी प्रारूप (क)में 7 दिवस के भीतर कार्यालयीन समयावधि में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)रायगढ़ में आवेदन जमा कर सकते है।

उचित मूल्य की दुकान के लिए प्रतिभूति निक्षेप 5 हजार रुपये होगा। आबंटित दुकान की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। शासन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के आधार पर नियमों का पालन किया जाएगा। दुकान के सामने महिला एवं पुरूष खरीददारों की अलग-अलग कतार बनाने के लिए पर्याप्त जगह रखना होगा। दुकान आबंटन स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर, जिला रायगढ़ में निहित होगा एवं किसी भी प्रकरण के विवाद की स्थिति में कलेक्टर, रायगढ़ का निर्णय अंतिम होगा। इस संबंध में नियम, शर्तो अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

अंत्योदय/आदिवासी स्वरोजगार योजना का लाभ लेने आवेदन आमंत्रित

रायगढ़ । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु छ.ग.शासन द्वारा अंत्योदय/आदिवासी स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। योजना में व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु अधिकतम एक लाख रुपये ऋण देने का प्रावधान है जिसमें अधिकतम 10 हजार रुपये अनुदान राशि दी जाती है। वर्ष 2021-22 के लिए रायगढ़ जिले के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है। इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ आवेदन कर सकते है। आवेदन कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, रायगढ़, कक्ष क्रमांक 94 में प्राप्त एवं जमा किए जा सकते है। आवेदन पत्र की फोटोकापी, आवेदन में कांट-छांट ओव्हरराईटिंग इत्यादि स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

योजना के लिए पात्रता - आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो तथा उसकी आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक न हो। जाति एवं निवास प्रमाण पत्र सरपंच, पार्षद एवं आय प्रमाण-पत्र पटवारी द्वारा जारी प्रस्तुत करना होगा। आवेदक की आय ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होने पर 40 हजार 500 एवं शहरी क्षेत्र का निवासी होने पर 51 हजार 500 रुपये से अधिक न हो। आय प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मान्य होगा। गरीबी रेखा सर्वे सूची में नाम हो, आवेदक का नाम राशन कार्ड में हो, आधार कार्ड, पेन कार्ड की छायाप्रति, पूर्व में किसी योजना में लाभ नहीं लिया हो का शपथ पत्र देना होगा।

स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन के संबंध में निर्देश जारी, जनपद पंचायत एवं तहसील स्तर पर सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं होंगे

रायगढ़ । प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 पूरे गरिमामय ढंग से मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार इस वर्ष कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए विशेष सावधानी बरती जाएगी। इस संबंध में राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रदेश की राजधानी रायपुर एवं अन्य जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह चूंकि प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होंगे, इसे देखते हुये रायपुर एवं अन्य जिला मुख्यालयों में स्थित शासकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण कार्यक्रम प्रातः 9 बजे के पूर्व सम्पन्न किए जाएंगे, ताकि उन कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारीगण जिले के मुख्य समारोह में भाग ले सकें। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 की रात्रि में प्रदेश के सभी शासकीय, सार्वजनिक भवनों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर रोशनी की जाएगी। इस बार जनपद पंचायत एवं तहसील स्तर पर सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं होंगे। जनपद पंचायत कार्यालयों में जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं नगरीय निकायों में निकाय अध्यक्षों द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा।

राज्य स्तर पर राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा। ध्वजारोहण के बाद पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों की टुकड़ियों द्वारा सलामी (गार्ड आफ ऑनर) दी जायेगी। मुख्यमंत्री के द्वारा जनता के नाम संदेश का वाचन किया जायेगा। कार्यक्रम में कोरोना वारियर्स डॉक्टरों, पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वच्छताकर्मियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। जिला स्तर पर मुख्य अतिथि के द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा। ध्वजारोहण के बाद पुलिस एवं नगर सैनिक की टुकड़ियों के द्वारा सलामी (गार्ड आफ ऑनर) दी जायेगी। मुख्य अतिथि के द्वारा मुख्यमंत्री के जनता के नाम संदेश का वाचन किया जायेगा। पंचायत मुख्यालय और बड़े ग्राम स्तर-पंचायत मुख्यालयों में सरपंच द्वारा एवं बड़े गांवो में, गांवों के मुखिया ध्वजारोहण करेंगे और सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गान गाया जाएगा।

ऐसे शैक्षणिक संस्थान जहां अध्ययन-अध्यापन का कार्य हो रहा है वहां पर छात्र-छात्राओं की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया जाएगा और स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। किंतु रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजनों में कोविड-19 के लिए जारी निर्देश यथा-मास्क पहनना, सामाजिक दूरी आदि का पालन करना होगा। विभाग, कार्यालय प्रमुख द्वारा उनके कार्यालय में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया जाए। ध्वजारोहण के पश्चात् सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। सभी शासकीय और सार्वजनिक भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। उक्त पर होने वाला व्यय संबंधित प्रशासकीय विभाग अपने बजट से वहन करेंगे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480